



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

परिपत्र

क्रमांक / सं.अ.सं. / ५४३

भोपाल, दिनांक ०५.08.2025

प्रति,

समस्त संचालक गण,
संबद्ध अध्ययन संस्थान,
(आई.टी. एवं मीडिया)।

विषय:- बीसीए पाठ्यक्रम में 20 प्रतिशत या 20 प्रतिशत से कम प्रवेश होने की स्थिति में प्रवेश न दिये जाने संबंधी निर्देश।

संदर्भ:- विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क अका./2023/553 दिनांक 09.05.2023।

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के परिपेक्ष्य में यह निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी संबद्ध अध्ययन संस्थान में संचालित बीसीए पाठ्यक्रम में कुल स्वीकृत सीटों के सापेक्ष 20 प्रतिशत या 20 प्रतिशत से कम आवेदन/प्रवेश प्राप्त होते हैं, तो बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाए।

साथ ही पूर्व में जारी विश्वविद्यालय आदेश क अका./2023/553 दिनांक 09.05.2023 के अनुसार यदि किसी अध्ययन संस्थान में बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों की संख्या कुल स्वीकृत क्षमता की 20 प्रतिशत या उससे कम है तो ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन प्रदान नहीं किया जायेगा।

इस निर्देश का कठोरता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. आशीष जोशी)

निदेशक

(संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ)

क्रमांक / सं.अ.सं. / ५४५

भोपाल, दिनांक ०५.08.2025

प्रतिलिपि:-

1. परीक्षा नियंत्रक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

✓ 2. वेब मास्टर, विश्वविद्यालय की ओर वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

(डॉ. आशीष जोशी)

निदेशक

(संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ)